

खातीपुरा रोड, जयपुर -302012

महत्वपूर्ण परिपत्र

सेवामे,

श्रीमान प्रभारी अधिकारी/ लेखा अधिकारी दुर्ग अभियंता

सं लेखा/II/156/डीआईडी रिस्पोंड

कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक

(दक्षिणी पश्चिमी कमान) खातीपुरा रोड

जयपुर

दिनांक

20/10/2016


बिषय :--- डीआईडी के समायोजन के लिए सूचना

संदर्भ :--- मुख्यालय पत्र सं. लेखा /II/11366/डीआईडी जिल्द-58 दिनांक 09/09/2016

उपरोक्त बिषय मे लेख है कि 01.04.2014 से डीआईडी संबन्धित समस्त जानकारी NEW COMPILATION SYSTEM मे होने के कारण DID के शीघ्र निपटान हेतु online responding व originating कार्यवाही की जा रही है।

Responding DID:--- Responding DID का समायोजन करने के बाद आप पीएम तथा डीआईडी की प्रतिलिपि ई डी पी अनुभाग के बजाय सीधा लेखा अनुभाग को प्रेषित करे जिसे लेखा अनुभाग ही NEW COMPILATION SYSTEM मे compile व upload करेगा ।

Originating DID :- Originating DID संबन्धित माह के अनुभागीय संकलन से मिलान करने के पश्चात DID संबन्धित दस्तावेजो के साथ लेखा अनुभाग को प्रेषित करे ।


वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखा)

प्रतिलिपि

प्रभारी अधिकारी

ई.डी.पी। अनुभाग

स्थानीय

अपलोड (UPLOAD) करने हेतु


वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखा)



रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
[लेखा एवं वजट अनुभाग]

उत्तम बटार मार्ग, पालम, दिल्ली छावनी -110010.

दूरभाष -011-25665548,25665583/584,25665736/737 फैक्स - 011-25674786

दिनांक: 09/09/2016

सं./लेखा/II/11366/डीआईडीएस/जिल्द - 58

सेवा में,

रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक / रक्षा लेखा नियंत्रक (द.प.र.)

जयपुर

विषय :- 15/2016 को समाप्त तिमाही (नया प्रारूप पत्र - 94) : रक्षा विनिमय लेखों के अंतर्गत बकाया अनुसूचियों की सूची।

रक्षा लेखा नियंत्रक (सेना), मेरठ छावनी द्वारा पत्रांक सं.ई.डी.पी./712/ सीओ एमपी/डीईए दिनांक: 27/07/2016 के द्वारा भेजी गई उपरोक्त विषयांतर्गत रिपोर्ट (प्रतिलिपि संलग्न) के संदर्भ में निम्न अभियुक्तियां दी जाती हैं।

1. आपके कार्यालय द्वारा पुराना प्रारूप पूर्व - 94 रक्षा विनिमय लेखों के अंतर्गत बकाया अनुसूचियों का 15/2016 को समाप्त तिमाही में निपटान शून्य हैं। अतः निपटान हेतु शीघ्र कार्यवाही करें।
2. आपके कार्यालय व अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा रक्षा विनिमय लेखों का निपटान करने की कार्यवाही शीघ्र की जानी चाहिये। इस सम्बंध में कृपया उचित अनुदेशों को जारी किया जाये तथा इस कार्यालय को अवगत कराया जाये।
3. संगणक केन्द्र रक्षा लेखा नियंत्रक (सेना) मेरठ द्वारा जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में रक्षा विनिमय लेखों के शीघ्र व उचित निपटान के लिये विशेष वर्कशाप का आयोजन किया गया था जिसमें समस्त प्रधान नियंत्रक/नियंत्रक कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि उक्त तरह की वर्कशापों तथा प्रशिक्षणों का आयोजन आपके कार्यालय द्वारा भी इस कार्यालय को सूचित करते हुये, किया जाये।

4. आपके कार्यालय को यह भी सलाह दी जाती है कि रक्षा विनियम लेखा की लम्बित अनुसूचियों का वर्ष वार (Year Wise) तथा शेष वार (Amount Wise) विश्लेषण कर एक विशेष अभियान के तहत लम्बित अनुसूचियों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाये।
5. चूंकि 01-04-2014 से DIDS से संबंधित समस्त जानकारी New Compilation System में Online उपलब्ध हैं। अतः शीघ्र निपटान हेतु Online Responding एवं Originating कार्यवाही को सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि pdf फाइलों का भी अपलोड नियमित रूप से हो जिससे कि अन्य नियंत्रक कार्यालयों को Responding कार्यवाही करने में परेशानी न हो।
6. आपसे यह भी पुनः आग्रह किया जाता है कि समस्त Originating तथा Responding अनुसूचियों की Compilation का पंचिम मीडियम की कार्यालय प्रति से पुष्टि करा ले जिससे भूलवश की गयी किसी पुरानी गलती को सुधारा जा सके और शीघ्रातिशीघ्र बकाया अनुसूचियों का निस्तारण किया जा सके।
7. इस कार्यालय के पत्र संख्या A/II/11366/DIDS/Vol-LVII दिनांक 03/06/2016 के तारतम्य में पुनः यह अनुरोध किया जाता है कि रु. 5000/- या उससे कम मदों के निपटान के लिये समयबद्ध विशेष अभियान चलाया जाये।
8. इस कार्यालय के पत्र संख्या A/II/11366/DIDS/Vol-LVII दिनांक 03/06/2016 के निरंतरता में यह अपेक्षा पुनः की जाती है आपके कार्यालय व अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा रक्षा लेखा विनियम से सम्बंधित समस्त कार्यवाही New Compilation System पर ही की जाये अन्य किसी माध्यम के द्वारा नहीं।
9. किसी भी तकनीकी सहायता के लिये संगणक केंद्र, रक्षा लेखा नियंत्रक (सेना) मेरठ तथा IT&S Wing रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
10. इस दिशा में आवश्यक कदम उठाकर इस कार्यालय को तुरंत अवगत कराये तथा अगली त्रैमासिक रिपोर्ट में संतोषजनक प्रगति को दर्शाये।



सहायक रक्षा लेखा महानियंत्रक (लेखा व बजट)